THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) to (c). It is too early to assess the impact of bank nationalisation. However, one of the principal objectives in nationalising 14 major Indian Scheduled banks is to promote dispersal of banking facilities for rapid growth in agriculture, small industries, exports etc. This is likely to result in more opportunities for employment.

Decay of Wheat in Bihar Godowns

3709. SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI K. M. MADHUKAR :
SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :
SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 8,000 quintals of wheat have been decaying in various Government godowns in Bihar Sub-Division under the Patna District of Bihar for the last two years ;

(b) if so, the reasons therefor and the persons responsible for this ;

(c) the total cost of the above wheat ;

(d) the manner in which Government propose to utilize the same ; and

(e) whether Government propose to take any action against the persons responsible for letting the above wheat decayed and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (c). No, Sir. Only 53 quintals of wheat out of 60,840 received in 1967 are in stock in Bihar Sharif Sub-Division. Some of the wheat received in 1967 was rain-soaked. The affected grain was segregated, screened and disposed of except these 53 quintals costing Rs. 3,195/-.

(d) Sale of this wheat has also been arranged to a starch factory and delivery is expected to be given soon.

(e) No action is proposed as no one has been found responsible for the damage which amounts to 0.26% of total wheat handled.

12.27 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Floods in the Ganges in Bihar

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Devastating floods in the Ganges in Bihar."

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : It is a two page statement and I lay it on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1673/69[

SHRI HIMATSINGKA : In view of the fact that the Gangetic basin is one of the most fertile areas and it is being flooded almost every year causing enormous loss, what measures do the Government propose to take at the national level to control such floods thereby preventing the annual loss of crops and lives ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : In this particular case, the damage was much in the Ganga-Khadir area and I think it will not be possible to do anything with regard to this area. With regard to river Punpun it is in high floods but is held by the embankments constructed.

But there are some other areas in Ganga which could be protected. In Shahbad we are going to put up an embankment to prevent the flooding of the low areas.

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर प्रदेश के बारे में दिया है, यह बिहार के बारे में है ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : गंगा उत्तर प्रदेश में भी बहती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहें तो कह सकते हैं । वह सारी गंगा के बारे में बतला सकते हैं ।

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गंगा और पुनपुन नदियों की बाढ़ से जो क्षत्र बराबर ग्रसित होता रहता है, उसको स्थायी रूप मे रोकने के लिये कोई योजना है ? अगर है तो उसको कब तक का कार्यान्वित किया जायेगा ?

DR. K. L. RAO : The embankment has been constructed ; they are holding on. There is no damage, and no breaches. Regarding the floods on the Ganga, I have already submitted that it is not possible to protect the riverine area, that is, the river portion, the Khadir area. But there is no damage caused to the embankment. I have already indicated it.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैंने बाढ़ के सम्बन्ध में बिहार की स्थिति को रक्खा था, लेकिन उस समय मंत्री महोदय ने उसको यों ही उड़ा दिया और कोई जवाब नहीं दिया । रात के रेडियो के मुताबिक वहां अभी स्थिति इस प्रकार है कि लगभग एक हजार गांव ऐसे है जहां घरों को खाली करने की नौबत पैदा हो गई है और 150 गांव तो पूरी तरह से खाली कर भी दिये गये हैं । साहबकमाल, मुंगेरघाट के बीच में गंडक के कारण रेलगाड़ियों का चलना बन्द हो गया है। लाइन पर इतना पानी है कि गाड़ी चल नहीं सकती है । पहलेजाघाट और महेन्द्रू घाट के बीच में रात को और शाम को रेलवे स्टीमर चलने बन्द हो गये हैं, प्राईवेट स्टीमर तो पूरी तरह बन्द हो गये हैं । नतीजा यह है कि सोनपुर से हाजीपुर से और छपरा से जाने के लिये मोकामा हो कर जाने का सवाल पैदा हो गया है । कोसी के कारण । निमेली, लोकही तथा दूसरे इलाकों में कई किनारे कट गये है । कोसी के पानी से किनारा डूबता नहीं है, कटता है । कुछ घर बह गये हैं । पटना जिले में एक आदमी जब मरम्मत कर रहा था तब बाढ़ के कारण पेड़ गिर गया और वह वहीं मर गया । तीन की लाशें हेपजापुर में गंगा नदी पर पाई गई जो बहा तैर रही थी यह तो मैं सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं । इसके अलावा मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि दानापुर सब-डिवीजन में लगभग 75 प्रतिशत बरबादी हो गई है । वैसे हीबर्नर, शाहाबाद, पटना, मुंगेर दरभंगा भागलपुर आदि में दोनों तटों की स्थिति है । वहां पर कुछ गांवों को छोड़ कर लोग पूरी तरह घरों को छोड़ कर भाग गये । बाकी जमीन भी कट रही है ।

चूंकि यह हर साल का मामला है, इस लिये सवाल यह है कि गंगा के कटाव और बाढ़ से लोगों को बचाने के लिये सरकार क्या स्थायी इलाज सोच रही है ।

दूसरी तरफ़ गंडक और कोसी की बाढ़ों से तटबन्ध को खतरा पैदा हो गया है और सहरसा के पश्चिमी हिस्से में और दरभंगा के पूर्वी हिस्से में बांध के कटने का सवाल है । ऐसी स्थिति में जो कटाव हो रहा है कोसी में और जहां 3 लाख क्यूसेक्स पानी आने का समाचार है, थोड़ा और बढ़ने पर और भी खराब हालत पैदा हो जायेगी, गंगा और कोसी के अलावा बहमारा का भी मामला है, जहां पर बाढ़ बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, उसके बारे में स्थायी इलाज मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह हमें आश्वास्त कर दें

बिहार में असेम्बली नहीं है, मंत्रीमंडल भी नहीं है, वहां की स्थिति का भार भी मंत्री महोदय के माथे पर है । पहले जो रिलीफ दिया जाता था आज उसका 10 फीसदी भी नहीं दिया जा रहा है । पटना जिले में 1967 में बाढ़ आई थी उस वक्त दानापुर सब-डिवीजन में मनेर में 125 से ऊपर नावें थी, लेकिन अब केवल चार है । जिला मजिस्ट्रेट ने मांग की है...

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा :...

श्री भोगेन्द्र झा : लोग डूब रहे है, मुसीबत आई हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : काल अटेंशन पर माननीय सदस्य एक बार एक प्रश्न कर सकते है । अगर इसको डिबेटिव अवर बनाना है तो इसके लिये अलाहदा डिबेट क्यों न रख दिया जाए ? अगर इसको काल अटेंशन बनाना है तो फिर

[अध्यक्ष महोदय]

काल अटेंशन ही रहने दीजिये। एक, दो, तीन बातें हो गई। अब आप कुछ दूसरों का भी ख्याल कीजिये। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिये सवाल यह है कि बाढ़ से बचाने के लिये सरकार गंगा और और गंडक का स्थायी इलाज क्या कर रही है जिसमें तटबन्ध न टूटें, खासकर गंडक और कोसी के लिये हमको मिनिस्टर गारेन्टी देते है या नहीं ताकि लोग आश्वस्त हों, कि तटबन्ध नहीं टूटेंगे ? तीसरी बात यह कि जिन लोगों के घर बह गये हैं, फसल डूब गई है, उनके लिये क्या कर रहे हैं कपड़े के रूप में, किरोसिन के रूप में दाने के रूप में और बेकारों को काम देने के लिये, लगान की माफी देने के लिये ? जो भी यह फौरी कदम हैं उनके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

DR. K. L. RAO : North Bihar has not had serious floods so far. For example, in the Kosi River the maximum discharge so far is nearly 3 lakh cusecs—it is 2.9 lakh cusec—as against the maximum discharge of the river of 9 lakh cusecs, which is only one-third of the maximum discharge. Similarly, in the Gandak the flow today is 1.4 lakh cusecs as against 7 lakh cusecs that that river carries. This is because we have in fact got less amount of rainfall in north Bihar than the average ; in fact, in the first fortnight there was no rainfall. I am afraid, North Bihar may be going through drought if the rainfall does not improve. No doubt, the Ganga does carry 13 lakh cusecs as mentioned in the report. The Ganga is a great river. It covers a large amount of area in Uttar Pradesh which has got a heavy rainfall and the water has to go down. It is not extra-ordinary. Unless this flood comes the country cannot benefit. The embankments of the Ganga on the north side are all intact and I do not see any reason to get panicky about the situation now in regard to floods in Bihar.

As regards relief, relief is not the function of this Ministry. This Ministry deals with flood control measures, designs etc. ; the relief work is assigned to the Rehabilitation and Finance Ministries. Therefore he must seek relief measures from other departments. Nevertheless, I will convey what the hon. Member has said to the Bihar Government today on the telephone.

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : यहां जवायेंट रिस्पांसिबिलिटी है। मिनिस्टर को जानना चाहिये कि क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : इस काल अटेंशन पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि वह सफेद झेठ है। सफेद झूठ यह है जब वह कहते हैं पैराग्राफ में कि:

> "during the period of high floods in Ganga the rainfall in North Bihar was not heavy"

इसके मुताल्लिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

> "and the North Bihar rivers were not in floods."

यह बिल्कुल झूठ है। इसलिये कि मेरे पास पटना के दोनों अखबार 'सर्चलाइट' और 'इंडियन नेशन' 12 तारीख के है 'सर्चलाइट' में दिया गया है, जैसा कि मेरी कांस्टिटुएन्सी के घोघरडीहा से रिपोर्टर लिखता है :

> "A Ghoghardiha report said that though the flood discharge of the turbulent Kosi had not gone beyond three lakh cusecs so far this year, it has created a serious situation by eroding its banks in Nirmali and Marona blocks in Saharsa district and Laukahi block in Darbhanga district.
>
> Six houses and 50 acres of crop lands in Sakhua village and seven houses in Rasuar village in Marona block have already been eroded away. About 50 acres of land has also been claimed into the bed of the river in nearby Navtoli.
>
> In Nirmali Block also parts of villages Piprahi and Siyani have been eroded away. Forty families have been rendered homeless."

यह है नार्थ बिहार के बारे में। खाली गंगा ही नहीं है। दूसरी नदियां भी है। मुजफ्फरपुर

के बारे में 12 तारीख का 'इंडियन नेशन' कहता है कि 1810 गांव प्रभावित हुए हैं।

"The floods have affected about 1810 villages in area of 103 square miles in Muzaffarpur district. Official reports said over 70,000 acres of standing crops have been submerged in the flood waters.....

In Saharsa district the Kosi floods have inundated 81 square miles submerging crops on 42,000 acres."

इन्होंने जो उत्तरी बिहार के बारे में कहा है वह बिल्कुल झूठ है। मरने वालों का जहां तक सम्बन्ध है एक आदमी मारा और तीन की लाशें तैरती हुई पाई गई हैं।

गंगा में जो बाढ़ आती है वह हर साल बरबादी करती है। इस साल भी उसने की है। इतना दर्जे की वहां पर बरबादी हुई है। सरकार की जो मदद है, उसकी मदद की जो रफ्तार है, वह नहीं के बराबर है। वह नगण्य है। हमारे एस० एस० पी० के कार्यकर्ता वहां घूम रहे हैं, स्पाट पर घूम रहे हैं। वे अथोरिटीज से मिल कर रिलीफ दिलाने की कोशिश कर रहे है।

मैं मानता हूं। कि बाढ़ें आएंगी। जो बहुत आगे लोग बढ़े हुए देश हैं वहां भी बाढ़ें आते हैं। लेकिन बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है, उससे जो बरबादी होती है, उस को कम किया जा सकता है। वह नहीं होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जिससे वह बरबादी न हो।

मैं सवाल पूछता हूं। बाढ़ें आती हैं और आगे भी आयेंगी, इसको मैं मान लेता हूं। उसकी विभीषिका को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस स्पाट पर उस नाजुक स्थल पर जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनकी और अपने इंजीनियर्ज की क्या आप एक कमेटी मिलीजुली बनाने जा रहे हैं? एक स्टैंडिंग इस तरह की बाढ़ कमेटी आप बनायेंगे ताकि जब कभी भी बाढ़ आए उस वक्त ये दोनों मिल कर, शोशल वर्कर भी और आपके अफसर भी मिल कर, मुस्तैदी के साथ और वार फुटिंग पर उस का मुकाबला करें.....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। मैं आगे इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइये। मैं अपनी लैग्ज पर खड़ा हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं प्वाइंट बता कर समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, आप बैठ जायें।

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आप परम्परा बिगाड़ रहे हैं। हम लोगों का कोआपरेशन आपको मिलता रहेगा...

MR. SPEAKER : Please sit down. I am not going to allow you more than what you have said. You are forcing yourself on the Chair and on the House also. Please come out with a direct question.

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे सवाल तो करने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिनती करता हूं कि बैठिये। अगर आप ने कालिंग एटेंशन को डिबेट के तौर पर स्तेमाल करना है...

श्री शिव चन्द्र झा : डिबेट नहीं है यह। औरों के मुकाबले में आप मुझे बहुत कम समय देते हैं। आप कहें कि एक एक करके मैं सवाल करूं तो वह मैं कर सकता हूं। लेकिन कुछ बैकग्राउंड मैटीरियल तो देना ही पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : जोशी साहब, आप ही इनको समझाइये कि ये बैठ जायें। कुछ न कुछ तो प्रोसीजर हाउस का चलना चाहिये। क्या हम इस तरह से चलते जायेंगे?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): जवाब ठीक से नहीं दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल भी तो हो जिसका जवाब दिया जाए। आप भी मेरी मदद करने के बजाय उनकी मदद कर रहे हैं।

श्री लखन लाल कपूर : मन्त्री महोदय सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइये उनका सवाल क्या है ताकि मैं मन्त्री महोदय से कह सकूं कि वह उसका जवाब दें।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं सवाल करके बैठ जाता हूं।

फ्लड्ज के वक्त जो वहां पर स्पाट पर राजनीतिक और सोशल वर्कर होते हैं, उनकी और अपने अफसरों की क्या आप एक कमेटी बनायेंगे जो वार फुटिंग पर इसका मुकाबला कर सकें ?

प्राइम मिनिस्टर ने जब आंध्र में फ्लड आए थे तो ऐमरजेंसी रिलीफ दे कर मदद की थी। क्या आप प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे कि एमरजेंसी रिलीफ के लिए तुरन्त पैसे दिये जायें प्राइम मिनिस्टर्ज रिलीफ फंड से ?

वहां फसलें बरबाद हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फ्री सीड आप किसानों को देंगे और कुछ तकाबी लोन वगैरह देंगे ताकि वे अपने काम को कर सकें और फ्लड से जो बरबादी हुई है उसकी कुछ क्षतिपूर्ति हो सके ?

DR. K. L. RAO : The hon. Member said that the information is not correct. I have given the information from the latest report of the Government of Bihar.

The hon. Member said about the Kosi river erosion. I must submit that the Kosi embankments are perfectly safe. There is no danger about that. All that has happened is, in the case of Kosi, there are a number of villages which have not gone out of the banks and, therefore, those villages suffer whenever there is water in the Kosi river. That cannot be helped. There are embankments on the right and on the left and the villages are inside. So, they cannot but suffer. I am very sorry. In fact, there are a very large number of villages. One of the methods which we are trying to do is to see whether we can put the embankment nearer and save some villages. But, at the moment, I am afraid it must be accepted that nothing can be done and the villages which are inside the embankments will continue to suffer.

About Muzafferpur. I am sorry the hon. Member has made out a big issue out of it. The river, Burhi Gandak, is carrying a very little amount of water, one-third of the maximum floods, *i.e.*, 24,000 cusecs; it is not very much. There were a few breaches in the embankments and these caused inundation. But the breaches were closed.

I agree with the hon. Member that we should have a flood fighting force consisting of officers and public to look after the embankments. In fact, we have been trying to do that. I have drawn up a scheme : a regular syllabus has been drawn up, but I have not been able to put it in actual operation. With the hon. members' co-operation, we shall try to start a squad in that area.

श्री रामावतार शास्त्री : रिलीफ के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री शिव चन्द्र झा : प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा देने के बारे में कुछ नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हमारा काम नहीं है।

DR. K. L. RAO : I have already submitted, and I would submit once again, that this is outside the scope of this Ministry. This is done by the Finance Ministry. Andhra Pradesh was not given any flood relief, as the hon. Member said. From the Prime Minister's Relief Fund, Rs. 30,000 were given for Orissa and Rs. 30,000 were given for Kerala, because the flood there were very serious. The Ministry of Irrigation and Power has nothing to do with relief. This comes under the Finance Ministry which sends a team to assess and then gives it.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बिहार में राष्ट्रपति शासन है। वहां की विधान सभा स्थगित है। अभी तक उस पर लोक सभा में विचार नहीं हुआ है। बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में है हजारों गांव जल मग्न हो गए हैं। लाखों एकड़ जमीन में मकई की फसल बरबाद हो गई है।

जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो इस सदन को तो उस उर पर विचार करने का मौका मिलना चाहिये। दो महीने के लिए विधान सभा को स्थागित किया गया है। हमें खतरा है कि इसका फायदा उठा कर इस सदन को विचार करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। लेकिन मैं सहमत हूँ कि उस पर भी विचार होना चाहिये। मैं मिनिस्टर आफ पार्लियामैंटरी एफेयर्ज से बात करूंगा। कुछ डिबेट फिक्स हो सके तो जरूर करनी चाहिये।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : कुछ दिनों पहले बाढ़ समस्या पर बयान देते हुए मंत्री महोदय ने फरमाया था कि हिन्दुस्तान में जुलाई से ले कर अक्तूबर तक एक फ्लड सीजन, बाढ़ का मौसम, रहता है। हम पिछले कुछ हफ्तों से यह देख रहे हैं कि हर एक प्रान्त में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर मनुष्य-हानि, जानवरों की हानि और माल हानि हो रही है। डा० राव के ही कथनानुसार पिछले साल हिन्दुस्तान में बाढ़ की वजह से 200 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ था। यह सरकार का आंकड़ा है। अगर हम इस आंकड़े में 200 या 300 करोड़ रुपये और जोड़ दें और कहें कि हिन्दुस्तान में बाढ़ के कारण हर साल 500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। जब देश में यह बाढ़ का मौसम आयें तब हम इस सदन में उस पर बहस करें, मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछें और वह उनके उत्तर दें, फिर चूंकि प्रकृति अपना काम करती जाती है, इसलिए अक्तूबर में बाढ़ का मौसम खत्म हो जाता है और अक्तूबर के बाद यहां भी बाढ़ के बारे में कोई नहीं बोलता है और बाहर भी कोई नहीं बोलता है और मन्त्री महोदय अपनी जगह बैठ जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय और यह सरकार कभी इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वह बाढ़ से पीड़ित लोगों को तत्काल मदद देने के अलावा उनको सहायता और राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस योजना बनायेंगे—यह नहीं कि बाढ़ आ गई, यहां चिल्लाया गया और वह मुंगेर और भागलपुर दौड़े, कोई स्थायी योजना बनायेंगे, जिसमें विशेषरूप से आप इनशोरेंस योजना भी शामिल हो। पिछले 22 वर्षों में यह सरकार कुछ नहीं कर पाइ है। कुछ महीने पहले उनहोंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ऊ थांट, से बातचीत की थी कि हिन्दुस्तान में बाढ़-नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल की योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपलब्ध एक्सपर्टीज और टैक्निकल नौ-हाऊ का इस्तेमाल किया जाये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस बारे में एक दीर्घ-कालीन योजना बनाने की दृष्टि से कोई कदम उठा पाये हैं या नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की तमाम नदियों को एक कैनाल के जरिये से एक दूसरे के साथ जोड़ने के बारे में जिस योजना के बारे में अरसे से बातचीत चल रही है, क्या वह उसको भी तत्काल कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठायें।

DR. K. L. RAO : As I said earlier, flood control in India is a large problem because of the large number of rivers we have. So far we have spent Rs. 200 crores while we require nearly Rs. 2000 crores.

Confining myself to Bihar, we have made a list of priority projects knowing that we cannot get all the money. These projects cost about Rs. 28 crores involving 11 projects. It will make a very effective contribution towards flood control in North Bihar. But due to financial stringency the maximum that we could obtain for the Fourth Plan for Bihar is about Rs. 8 crores. That is the main difficulty. The money that we have got is not sufficient to undertake many projects. That is the main thing standing in our way. Therefore, what we are trying to do is to get the maximum benefit and proceed from Plan to Plan and

[Dr. K. L. Rao]

I hope it will take some time to say that we have made a fairly good impact.

I would submit that the hon. Member is not correct when he says that we have not done anything. On the other hand, we have done considerable amount of flood control in this country and built a large number of embankments about 4800 miles. We have constructed a very excellent drainage system. In fact the money that we have spent on flood control work has conferred many benefits. But at the same time I would accept that there is still much to be done and it will take some time.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Sir, I have given a calling attention motion regarding a serious nature of corruption occurring in the Industries Department and a senior official.

अध्यक्ष महोदय : अभी वह मेरे पास नहीं आया है।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : The Director-General of Technical Development has demanded Rs. 4 lakhs for diversification of the licence in a letter he has written to a Bombay firm and in that letter he has implicated the Minister also. This is a very serious matter. I want this to be allowed.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : He is making an allegation that senior officers are involved. I demand that the Minister should be called.

MR. SPEAKER : The motion has not come to me yet.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : He has made violent allegations against the officers. The officers must be protected.

MR. SPEAKER : There is no motion before me as such. You have picked up a point just now. Just excuse me.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I have got a photostat copy of the letter written by the Director-General, Technical Development to the General Manager. I have got a copy of that letter. He has involved the Minister of Home Affairs in that letter. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Order please. Papers to be laid on the Table.

12.56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Moratorium in respect of the Bank of Bihar

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिद्धेश्वर प्रसाद) : श्री प्र० चं० सेठी की ओर से मैं बैंक आफ बिहार के सम्बन्ध में विलम्बन आदेश के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [*Placed in Library. See* No. LT.1674/69]

All India Services (Study Leave) First Amendment Regulations, 1969 and Punjab State Agricultural Marketing Board and Market Committees (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1969.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the All India Services (Study Leave) First Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1746 in Gazette of India dated the 26th July, 1969, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See* No LT—1675/69]

(2) (i) A copy of the Punjab State Agricultural Marketing Board and Market Committees (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1969, published in Notification No. S.O. 3021 (English version) and S.O. 3022 (Hindi version) in Gazette of India dated the 21st July, 1969, under sub-section (5) of section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957.

(ii) A statement (Engiish and Hindi versions) showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT—1676/69]